राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः 49 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2018–19 दिनांकः 04.09.2018

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी(रा0से0यो0),
सम्बद्ध महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर

विषयः राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम संचालन हेतु अवमुक्त अनुदान की सम्परीक्षा एवं बैंक खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–179 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2018, दिनांकः 27 अगस्त, 2018 के क्रम में दिनांकः 01.09.2018 को लखनऊ में हुई राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में एक दिवसीय पी0एफ0एम0एस0 की मीटिंग में निम्न महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया हैः–

1. प्रत्येक महाविद्यालयों को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई से संबंधित अनुदान आहरण हेतु सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर हेतु अलग–अलग प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी के पद नाम से संयुक्त बैंक खातों का संचालन किया जाना अनिवार्य है। बिना दोनों खातों के पृथक–पृथक संचालन के सत्र–2018–19 में अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा। वर्तमान सत्र से पूर्ण रूप से सामान्य एवं विशेष शिविर हेतु अनुदान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से संबंधित खातों में ही अवमुक्त किया जायेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आप द्वारा सामान्य एवं विशेष शिविर का बैंक खाता पृथक–पृथक संचालन नहीं किया जा रहा है तो तत्काल उपर्युक्त खातों का संचालन सुनिश्चित करें और खाते का विवरण इकाई आवंटन पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रारूप पर पासबुक / बैंक स्टेटमेण्ट की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करते हुए कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे आप द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर हेतु संचालित पृथक–पृथक खाते का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 में करते हुए समय से अनुदान अवमुक्त किया जा सके।
2. कार्यालय, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या–वि0मं0 / 1269(5), दिनांकः 07.12.2017 एवं पत्र संख्या–वि0मं0 / 377, दिनांकः 14.08.2018 के अनुपालन में जिन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा सत्र–2015–16 व सत्र–2016–17 में अवमुक्त सामान्य एवं विशेष शिविर अनुदान की सम्परीक्षा(आडिट) नहीं करायी गयी है। उसके सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिना विगत सत्रो में अवमुक्त अनुदान की सम्परीक्षा (आडिट) कराये वर्तमान सत्र 2018–19 में अनुदान अवमुक्त न किया जाय। अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि वे महाविद्यालय जिनके द्वारा विगत सत्रों की सम्परीक्षा नहीं करायी गई है वे सत्र–2017–18 के साथ विगत सत्रों में अवमुक्त अनुदान की भी सम्परीक्षा(आडिट) कराकर कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। जिससे वर्तमान सत्र–2018–19 में शासन से प्राप्त अनुदान समय से संबंधित खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अवमुक्त किया जा सके। अतः सम्परीक्षा (आडिट) हेतु सम्परीक्षा अधिकारी–श्री के0एल0सेठ के मो0नं0–9415896800 व 8601154785 पर सम्पर्क करके अनिवार्य रूप से समय से सम्परीक्षा कराने का कष्ट करें।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में पंजीकृत छात्र / छात्राओं का विवरण अग्रेंजी में एक्सल सीट पर कम्प्यूटर से संलग्न प्रारूप पर तैयार कर निम्नलिखित मेल **(1)sloup.nss@gmail.com**(2) **nssrclucknow@gmail.com** (3)**nssvbspu.jnp@gmail.com** पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कृपया उपर्युक्त शासन के निर्देशो का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में सत्र–2018–19 में अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संलग्नकः एक्सल सीट प्रारूप।

भवदीय

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ, निजी सचिव माननीय कुलपति जी।
2. क्षेत्रीय निदेशक, युवा कार्यक्रम एवं खेलमंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0–1, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा(रा0से0यो0को0)विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को वि0वि0 वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक